दिनांक 9.2.2016 को सांय 3.00 बजे आर्मजडेल भवन,हिमाचल भवन सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हिमाचल प्रदेश संत रविदास कल्याण बोर्ड की प्रथम बैठक की कार्यवाही

बैठक में भाग लेने वाले गैर सरकारी/सरकारी सदस्यों की सूची **अनुबन्ध ''क''** पर संलग्न है।

सर्व प्रथम बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0प्र0 ने बोर्ड के अध्यक्ष एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदय, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारी तथा बोर्ड के गैर सरकारी व सरकारी सदस्यों का बैठक में पधारने पर स्वागत किया तथा कहा कि सरकार को रविदास समुदाय के उत्थान की उचित व्यवस्था करके उन्हें स्वावलम्बी बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि इस समाज की क्षमताओं व विभिन्न दक्षताओं का प्रयोग समाज के उत्थान के लिये किया जा सके। तदोपरान्त माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने आपने स्वागत भाषण में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं तथा सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी तथा बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों से अनुरोध किया कि रविदास समुदाय के विकास एवं उत्थान के लिये वे अपने बहुमुल्य सुझाव दें ताकि माननीय मुख्य मंत्री के कुशल नेतृत्व व मार्ग दर्शन में हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

इस के उपरान्त माननीय मुख्य मंत्री ने अपने सम्बोधन में बताया कि रविदास समुदाय को सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा इस बोर्ड का गठन किया गया है ताकि इस समुदाय के प्रति समाज के दृष्टिकोण, सोच व आधारभूत ढांचे में परिवर्तन लाया जा सके। अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त गैर सरकारी सदस्यों से अनुरोध किया कि सरकार द्वारा इस समुदाय के लिए चलाए जा रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यो व नीतियों की जानकारी अपने समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाए।

इस के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई तथा बैठक में प्रस्तुत कार्य सूची पर चर्चा की गई :–

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मदें

1. **पंचायत हिरन में एक ओवर हैड टैंक बना है जो आईपीएच सब डिवीजन ज्वालामुखी (देहरा) के अन्तर्गत है। इसके दूसरे छोर पर हरिजनों के लगभग 30 घर है, तथा साथ ही दूसरी जातियों के भी घर है यहां पर पानी नाम मात्र पहुंचता है। अतः यहां एक ओवर हैड टैंक बनना चाहिए। स्थान महाल बल्ह, महाल लाहासण की बाउॅडरी जहां मिलती है।**

(कैप्टन जगत राम, हिरन त0 ज्वालामुखी जिला कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचनानुसार पंचायत हिरन में एक ओवर हैड टैंक बना है। जोकि आई0पी0एच0 उप–मण्डल देहरा के अन्तर्गत पडता है। दूसरा छोर जहां

पर हरिजनों के 30 घर हैं तथा दूसरी ओर अन्य जातियों के भी घर है वहां पर ज्वालामुखी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न पेयजल योजनाओं के स्त्रोतों के सुधार व विस्तार की विस्तृत परियोजना रिर्पोट में 21000 लीटर क्षमता का ओवर हैड टैंक का प्रावधान किया गया है। यह विस्तृत रिर्पोट योजना विभाग में लम्बित पडी है तथा इसकी स्वीकृति मिलने व धन का प्रावधान होने पर टैंक का निर्माण कर दिया जायेगा। वर्तमान में गांव हिरन तथा हरिजन बस्ती व अन्य बस्तियों को कमलोटा कोहाला पेयजल योजना से पेयजल सुचारू रूप से उपलब्ध करवाया जा रहा है।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

2. **पंचायत गढ खास के हरिजनों बस्ती हेतु एक अलग से डेढ इंच की पाईप लगाने हेतु अनुरोध किया है ताकि हरिजन बस्तियों में अविलम्भ पानी से राहत मिल सके।**
(रोशन लाल, पालमपुर, जिला कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचनानुसार पंचायत गढ खास में अनुसूचित जाति के लोगों की पेयजल समस्या को देखते हुये इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया तथा सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया कि लोगों की मांग उचित है। ग्राम पंचायत गढ खास में अनुसूचित जाति बस्ती के लिये पाईप डालने के प्रावधान को इस क्षेत्र की पेय जल योजना डरोह गढ के सुधार को प्राक्कलन में शामिल करने के लिए डी0पी0आर0 बना दी गई है जिसकी विभागीय तकनीकी जांच की जा रही है।

इसके अतिरिक्त इस अवधी के दौरान ग्राम पंचायत वलोह में पेयजल योजना पटवाग, लिंझण के सुधार के दौरान एक ईचं की 16 पुरानी पाईपें विभाग के पास उपलब्ध हुई थी इन पाईपों को अनुसूचित जाति की बस्ती की पेयजल समस्या को देखते हुए डाल दिया गया जिसमें वहां पर पेयजल का आंशिक रूप से समाधान कर दिया गया है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि पाईप निजी सहायक को लगा दी गई है। इन पाईपों के डालने से 10–12 उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा है। डी0पी0आर0 स्वीकृति तथा धन का उचित प्रावधान होने उपरान्त उक्त बस्ती को पेयजल सुचारू रूप से उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव(सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) द्वारा सूचित किया गया कि इस कार्य को एक माह के भीतर करवा दिया जाऐगा। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित मदें

3. **पंचायत चुनावों में प्रदेश में जहां अनसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या कम है उन्हें आरक्षित कर प्रधान, उप–प्रधान व बी0डी0सी0 बनने का मौका प्रदान किया जाये।**
(मास्टर मोहिन्द्र, नूरपुर, जिला कांगडा)

मद पर चर्चा के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सूचित किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों तथा अध्यक्षों के पदों हेतु जिन पंचायतों/पंचायत वार्डों में अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या 5 प्रतिशत से ज्यादा होती है उन पंचायतों/पंचायत वार्ड में जनसख्या के अनुपात में यह आरक्षण दिया जा रहा है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

4. गांव गढ खास डा0 मलकेहड तहसील पालमपुर के हरिजन बस्ती में पैसों का प्रावधान होने के बावजूद भी हरिजन बस्ती की सैनिटेशन समस्या दूर नहीं हुई। सभी स्तरों पर हरिजनों की अनदेखी होती रही है ऐसे मामलों में एक्शन कम्पलीशन रिपोर्ट जारी होनी चाहिए, इन खामियों को मध्यनजर रखते हुए सरकार से अनुरोध है कि ऐसे मामलों में गम्भीरता से हरिजन परिवारों को अविलम्भ सुविधा दी जाए।

(रोशन लाल पालमपुर,कांगडा)

मद पर चर्चा के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सूचित किया गया कि गांव गढ खास तहसील पालमपुर की हरिजन बस्ती की सैनिटेशन के लिए सरकार द्वारा 6,34,500 रूपये स्वीकृत किये गये है। इस कार्य को पूर्ण करने के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपायुक्त कांगडा को निर्देश दिये कि बोर्ड के सदस्य से सम्पर्क स्थापित कर इस हरिजन बस्ती में सैनिटेशन का कार्य करवाया जाये। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

5. राकेश कुमार सपुत्र श्री वरड राम स्थाई निवासी मरूंह तहसील पालमपुर हि0प्र0 बहुत ही गरीब परिवार से सम्बन्ध रखता है। इस व्यक्ति को 2009 में सफाई कर्मचारी की जगह अस्थाई रूप से खण्ड विकास कार्यालय भेडु महादेव में नियुक्त किया गया था तथा दिसम्बर 2014 को बिना कारण बताए नौकरी से निलम्बित कर दिया, ताकि उसे स्थाई कर्मचारी का दर्जा न मिल सके। हि0प्र0 सरकार से निवेदन है कि राकेश कुमार को पुनः नौकरी पर रखने की ताकीद की जाती है ताकि राकेश कुमार अपने गरीब परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो सके।

(रोशन लाल पालमपुर,कांगडा)

मद पर चर्चा के दौरान संम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया कि खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में सफाई कर्मचारी का कोई भी पद स्वीकृत नहीं है। इस कार्यालय में सफाई के लिए अंश कालिक आधार पर सफाई कर्मचारी को बुलाया जाता है जिसके आधार पर उसे मजदूरी का भुगतान किया जाता है। जहां तक एक आदमी को निकालने व दूसरे आदमी को रखने का सम्बन्ध है, इस बारे में छानबीन की जायेगी।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई।

तकनीकी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मदें

6. श्रीमति चन्द्रकान्ता जो वर्तमान में राजकीय बहुतकनीकी सरकारी पोलटैक्नीक कालेज बनीखेत में अधीक्षक ग्रेड–।। के पद पर दिनांक 07.07.2015 से कार्यरत है। उपरोक्त कर्मचारी 2010 से कैन्सर से पीडित है। अतः उनकी स्थिति को मध्यनजर रखते हुए श्रीमति चन्द्रकांता को आई0टी0आई0 धर्मशाला में श्रीमति सुमनवाला अधीक्षक ग्रेड–।। के स्थान पर आदेश जारी करवा दिए जाये।

(रोशन लाल, पालमपुर, जिला कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि विभाग से प्राप्त सूचनानुसार श्रीमति चन्द्र कान्ता को राजकीय आई0टी0आई0 धर्मशाला से अधीक्षक ग्रेड–11 के पद पर पदोन्नति उपरान्त राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, बनीखेत में रिक्त पद के विरूद्व पदस्थ किया गया था। इस संदर्भ में यह भी अवगत करवाया जाता है कि श्रीमति चन्द्रकान्ता को पदोन्नति उपरान्त आई0टी0आई0 धर्मशाला में समायोजित करने हेतु मामला दिनांक 22.06.2015 को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन हेतु भेजा गया था जिसमें उनके उपचार सम्बन्धी समस्याओं का पूरा जिक्र किया गया था, लेकिन सम्बन्धित प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी तथा तदोपरान्त उक्त कर्मचारी को राजकीय बहुतकनीकी, बनीखेत जो कि नजदीकतम स्थान जहां पर उपरोक्त पद के रिक्त होने के कारण पदोन्नति पर पदस्थ किया गया था। अब कर्मचाारी से पुनः आवेदन/अनुरोध प्राप्त होने पर मामला पुनः सक्षम अधिकारी के अनुमोदन हेतु भेजा गया था तथा अनुमोदन प्राप्त होने पर श्रीमति चन्द्र कान्ता अधीक्षक ग्रेड–11 का स्थानान्तरण इस निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या 1258 दिनांक 9.11.2015 के अन्तर्गत राजकीय बहुतकनीकी, बनीखेत जिला चम्बा से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धर्मशाला के लिए कर दिया गया है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई।

शिक्षा विभाग/तकनीकी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मदें

7. अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों को एम0ए0 तक निशुल्क शिक्षा व आई0आई0टी0 संस्थानों में भी विशेष निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए।

(रोशन लाल, पालमपुर, जिला कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचनानुसार वर्तमान में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की छात्राओं से एम0ए0 तक (सभी वर्गो की छात्राओं सहित) कोई शिक्षा शुल्क (Tuition fee) नहीं ली जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों को (सभी वर्गो की छात्राओं सहित) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आरंभिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। तदोपरान्त अनुसूचित जाति के छात्रों से सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शुल्क व निधि लिए जा रहे है जिसमें से शिक्षा

शुल्क (Tuition fee) की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) इस वर्ग के छात्रों को सरकार द्वारा निर्धारित छात्रवृति के साथ की जा रही है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क पाठय पुस्तकें (कक्षा 9वीं व 10वीं) निःशुल्क वर्दी (कक्षा 1 से 10वीं तक) और घर से स्कूल आने व जाने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा मुफ्त सुविधा प्रदान की जा रही है।

इसी प्रकार तकनीकी शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचनानुसार वर्तमान में हि0प्र0 में अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों को राजकीय आई0टी0आई0 संस्थानों में निशुल्क शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। यद्यपि अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखने वाले प्रशिक्षणार्थियों को निम्न सुविधायें प्रदान की जाती हैः—

1. तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 250/—रू0 प्रति माह की दर से नियमानुसार छात्रवृति प्रदान की जाती है।
2. अनुसूचित जाति उप—योजना के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को अध्ययन हेतु निःशुल्क पुस्तकालय बैंक से पुस्तकें भी उपलब्ध करवाई जाती है तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को बजट एवं नियमानुसार निःशुल्क टूल किट भी उपलब्ध करवाई जाती है।
3. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को आय के आधार पर श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा नियमानुसार रू0 1000 से 1500 रू0 प्रति माह तक कौशल विकास भत्ता (Skill Development Allowance) दिया जाता है।
4. सभी महिला प्रशिक्षणार्थियों को टयूशन फीस माफ है।

चर्चा उपरान्त विभागीय उत्तरों के दृष्टिगत चर्चा उपरान्त मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

8. संत रविदास समाज के बहुत से कर्मचारी दुर्गम स्थानों पर कार्यरत हैं। अपना कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद उन का स्थानान्तरण नहीं हो रहा है। जबकि दूसरे वर्ग के कर्मचारी अल्पकाल में ही स्थानांतरित कर दिये जाते है (राजेन्द्र पाल निवासी भदरोल, तहसील पालमपुर TGT Med. सितम्बर 2010 से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्रेह चम्बा से 40 कि0मी0 की दूरी पर कार्यरत है।

(रोशन लाल, पालमपुर, जिला कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचनानुसार सरकारी कर्मचारियों का स्थानान्तरण सरकार द्वारा अनुमोदित स्थानान्तरण नीति के अनुसार किया जाता है। अतः विशेष वर्ग के किसी कर्मचारी से भेदभाव का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

जहां तक श्री राजेन्द्र पाल निवासी भदरोल, तहसील पालमपुर TGT Med.के स्थानान्तरण का सम्बन्ध है इस कर्मचारी का स्थानान्तरण इच्छुक स्थान पर कर दिया है तथा इस कर्मचारी द्वारा गन्तव्य स्थान पर अपनी उपस्थिति दे दी है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई।

9. **हिमाचल बोर्ड के शिक्षा पाठ्य क्रम में डाक्टर भीम राव अम्बेदकर और गुरू रविदास की शिक्षा व सन्देश भी शामिल किये जाये।**

(श्री रमेश कुमार पुन्नू,पालमपूर जिला कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचनानुसार डाक्टर भीम राव अम्बेदकर के बारे में विस्तृत जानकारी छठी से नौवी कक्षाओं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में व गुरू रविदास के बारे में विस्तृत जानकारी नौवी कक्षा की पाठ्य पुस्तक नैतिक शिक्षा में पहले से ही उपलब्ध है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई।

10. **प्राथमिक व माध्यमिक पाठशाला में दोपहर के भोजन परोसने में हो रहे बच्चों के साथ छुआछूत को मिटाने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए।**

(श्री हेम राज आजाद,चच्योट,जिला मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचनानुसार इस बारे समय–2 पर दिशा निर्देश जारी किये जाते रहे हैं वर्तमान में निदेशालय के पत्र दिनांक 1.6.2015 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गए है।

मद पर बैठक में विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को इस बारे सख्त निर्देश दिए कि बच्चों को दोपहर के भोजन परोसते समय रोल नम्बर के आधार पर भोजन परोसा जाए तथा जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए। इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में सभी विभागों को पुनः सख्त निर्देश जारी करने के भी आदेश दिए गए। उन्होंने उपायुक्त मण्डी को कांगु आंगनवाड़ी केन्द्र में इस प्रकार की प्राप्त शिकायतों के मामले में छानबीन करने के भी निर्देश दिए। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने कर निर्णय लिया गया।**

11. **बैक डोर ऐन्टरी विभागों में ज्यादातर शिक्षा विभाग में देखी गई है जैसे :– पहले 1989 तथा 1992 में वॉलंटियर रखे गये जिसमें उपरोक्त वर्ग को नजर अन्दाज करके भर्ती की गई और आरक्षण प्रतिशतता को भी नजर अन्दाज कर दिया आज वो वॉलन्टियर टीचर रैगुलर होकर पदोन्नति का लाभ उठा रहे है।**

(श्री अमरनाथ, गरनोटा,तह0 भटियात जिला चम्बा)

मद पर बैठक में विस्तृत चर्चा की गई तथा सूचित किया गया कि जो 1989 तथा 1992 में वॉलंटियर रखे गये थे वे Area Specific रखें गए थे तथा तत्कालीन सरकार द्वारा बनाई गई निति के अनुरूप रखे गए थे। अब वे सब नियमित भी हो चुके है। जहां तक वर्तमान में अनुबन्ध आधार पर की जा रही भर्तियों का प्रश्न है तों आरक्षण प्रतिशतता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है

तथा सभी वर्गों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। **चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

12. **शिक्षा विभाग में मिड–डे–मिल पकाने के लिए जिन व्यक्तियों का चयन किया गया जिसमें उपरोक्त वर्ग के व्यक्तियों को नजर अन्दाज किया गया, चयन प्रकिया बिल्कुल गलत दी अक्सर देखा गया है कि मिड–डे–मिल वर्कर में अनुसूचित जाति की एक प्रतिशत भागीदारी भी सन्देह के घेरे में है। अतः इसके आंकडे प्रदेश स्तर पर एकत्रित किए जाये ताकि पता चले अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को कितनी भागीदारी मिली है।**

श्री अमरनाथ ,गरनोटा,तह0 भटियात जिला चम्बा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया गया कि शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार मध्यान भोजन योजना के अन्तर्गत लगाये जाने वाले Cook-cum-helper हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य पिछडा वर्ग के साथ–साथ अनुसूचित जाति वर्ग को भी प्राथमिकता देने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं जिसके दृष्टिगत इस वर्ग को प्राथमिकता दी जा रही है। वर्तमान में मध्यान भोजन योजना में कार्यरत Cook-cum-helper में से 15 प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित मदें

13. **रविदास समाज कांग्रेस पार्टी से जुडा हुआ है। कांग्रेस में गहरी आस्था है। परन्तु इस समाज के लोगों को कांग्रेस पार्टी में किसी भी स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इस बारे विचाार किया जाए।**

(रोशन लाल, पालमपुर, जिला कांगडा)

मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया कि इसके बारे में भविष्य में विचार किया जायेगा। **चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई।**

कार्मिक विभाग से सम्बन्धित मदें

14. **85वां संविधान संशोधन लागू किया जाये।**

(श्री राम स्वरूप, ज्वाली, कांगड)

(हरपाल सिंह (बीडीसी), दन्गोह तह0 अम्ब, जिला ऊना)

(रोशन लाल, पालमपुर, जिला कांगडा)

(श्री अमरनाथ ,गरनोटा,तह0 भटियात जिला चम्बा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि राज्य सरकार ने मंत्री परिषद की दिनांक 26.10.2013 को हुई बैठक में 85वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों को राज्य सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान न

करने का निर्णय लिया है जिसके फलस्वरूप 30.10.2013 को निर्देश जारी किए गए हैं। फिर भी राज्य सरकार ने 85वें संविधान संशोधन मामले में कर्मचारी संघों के सुझावों पर विचार करने बारे मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसकी सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

15. **अनुसूचित जाति से सम्बन्धित सरकारी नौकरियों में खाली स्थानों को भरने का विशेष प्रावधान होना चाहिए जिस में पदोन्नति आदि भी शामिल हैं जिसे प्रतिशत आबादी रविदास समाज की सिर्फ 9 प्रतिशत के आधार पर नौकरियों का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।**

(रोशन लाल, पालमपुर, जिला कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले कार्यकारी पदों को प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार भरा जा रहा है जिसमें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को उनके आरक्षण प्रतिशतता के अनुरूप समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा रहा है। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों को भी समय–2 पर भरा जा रहा है जिसमें अनुसूचित जाति के पात्र कर्मचारियों को प्रत्येक संवर्ग में रोस्टर बिन्दू के अनुसार पदोन्नतियां प्रदान की जा रही है। राज्य सेवाओं में जातिगत आधार पर आरक्षण प्रदान करने बारे कोई प्रावधान नहीं है यद्यपि रविदासी समाज अनुसूचित जाति को प्रदान किए जा रहे आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

16. **अनुसूचित जाति के अति निर्धन परिवारों के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी का प्रावधान होना चाहिए।**

(रोशन लाल, पालमपुर, जिला कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि प्रदेश सरकार ने राज्य सेवाओं तथा राज्य सरकार के आधीन निगमों/बोर्डो में बी0 पी0 एल0 परिवारों के सदस्यों को श्रेणी–III व श्रेणी–IV के सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है, जिसके दृष्टिगत अनुसूचित जाति वर्ग के निर्धन परिवार जो बी0पी0एल0 परिवारों की सूची में शामिल है,भी इस आरक्षण सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

17. हिमाचल प्रशासनिक सेवा में रविदास समाज के लोगों को उनकी आवादी की प्रतिशतता के हिसाब से लिया जाये। इस सेवा में समाज के लोगों को आखिरी दौर में बाहर कर दिया जाता है।

(श्री रमेश कुमार पुन्नू, नलेहर घुघर,तह0 पालमपूर जिला कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि राज्य सेवाओं में जातिगत आधार पर आरक्षण प्रदान करने बारे कोई प्रावधान नहीं है यद्यपि रविदासी समाज अनुसूचित जाति में आता है जो अनुसूचित जाति को प्रदान किए जा रहे आरक्षण का लाभ उठा रहे है।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

18. संत रविदास वर्ग का जो बैक लॉग कोटा (कर्मचारी हो या अधिकरी हो) उसका ब्यौरा विभिन्न विभागों से प्राप्त करके आने वाली बैठक में रखा जाये ।

(श्री अमरनाथ ,गरनोटा,तह0 भटियात जिला चम्बा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि राज्य सेवाओं में जातिगत आधार पर आरक्षण प्रदान करने बारे कोई प्रावधान नहीं है, जिसके दृष्टिगत रविदासी समाज के अधिकारियों/कर्मचारियों के बैकलॉग बारे सूचना उपलब्ध /प्रस्तुत नहीं की जा सकती। **मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

19. अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति बैकलॉग को जल्दी से जल्दी भरा जाना गरीब जनता के लिए अति हितकारी है।

(रघुवीर सिंह, बडसर जिला हमीरपुर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले कार्यकारी पदों को प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार भरा जा रहा है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को उनकी आरक्षण प्रतिशतता के अनुरूप समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा रहा है। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों को भी समय–2 पर भरा जा रहा है जिसमें अनुसूचित जाति के पात्र कर्मचारियों को प्रत्येक संवर्ग में रोस्टर बिन्दू के अनुसार पदोन्नतियां प्रदान की जा रही है।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

गृह विभाग से सम्बन्धित मदें

20. अनुसूचित जाति की बहु–बेटियों पर आये दिन अत्याचार हो रहे है। दलितों के मन्दिरों को सुनियोजित ढंग से नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है। इस पर प्रशासन का रवैया गम्भीर नहीं होता है। ऐसे मुदे गम्भीरता से अविलम्ब निपटाने चाहिए।

(रोशन लाल, पालमपुर, जिला कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि विषयगत मामले पर पुलिस अधीक्षक कांगडा से रिपोर्ट प्राप्त की गई रिपोर्ट के अनुसार कांगडा जिला के किसी भी क्षेत्र में किसी भी दलित मन्दिर में न जो कोई तोड–फोड हुई है और न ही इस जिला में अनुसूचित जाति की बहु–बेटियों के साथ सुनियोजित ढंग से किसी प्रकार के अत्याचार की घटना घटित हुई है।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

21. दलितों के हितों की रक्षा के लिए कडे कदम उठाये जाये।

(रघुवीर सिंह, बडसर जिला हमीरपुर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि सरकार द्वारा दलितों के हितों की रक्षा के लिए समय–2 पर उचित कदम उठाये जा रहें है। चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी पुलिस अधिक्षकों को इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाये कि भविष्य में दलितों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाये जाये,तथा **मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

श्रम एवं रोजगार विभाग से सम्बन्धित मदें

22. अनुसूचित जाति के बच्चों को बाहरवीं कक्षा उतीर्ण करने के बाद बेरोजगारी भता मिलना चाहिए। आवेदकों का विवरण मार्च 2004 के श्रम रोजगार के अनुसार इस प्रकार है मैट्रिक 97500, बाहरवीं 27000, बी0ए012000, एम0ए0 3500,यह आंकडा 2015 तक इससे दो गुना हो चुका है।

(रोशन लाल, पालमपुर, जिला कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर कौशल विकास भत्ता दिए जाने की घोषणा की है,ताकि बेरोजगार युवाओं के कौशल का स्तर उन्नयन किया जा सके और वे सुनिश्चित रोजगार व स्वरोजगार प्राप्त करके अपने पैरों पर खडे हो सकें। इस योजना के तहत पात्र हिमाचली आवेदकों को रू0 1000/–प्रतिमाह की दर से व 50 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी विकलांग आवेदकों को 1500/–प्रति माह की दर से कौशल विकास भत्ता, कौशल प्रशिक्षण के दौरान, अधिकतम दो वर्ष

तक देय हैं इस योजना के तहत सभी पात्र आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास होना अनिवार्य है(शैक्षणिक योग्यता मिस्त्री,बढई, लौहार,पलम्बर आदि के प्रशिक्षण हेतु आनिवार्य नहीं है)। **मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

23 **प्राईवेट सैक्टर में रविदास समाज के लोगों को 15 प्रतिशत हिसा सुनिश्चित किया जाये ।**

(श्री रमेश कुमार पुन्नू, पालमपुर जिला कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि इस संम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव इस विभाग में विचाराधीन नहीं है। **अतः मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/जन जाति विकस निगम से सम्बन्धित मदें

24 **इस वर्ग के बेरोजगार नौजवान युवाओं व युवतियों के लिये स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाये।**

(श्री हेम राज आजाद,वाहवा,तहसील चच्योट,जिला मण्डी)

25 **स्वःरोजगार के लिए बैंकों से सस्ते ब्याज व कम शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाये जाये।**

(रघुवीर सिंह,भकरेडी जिला हमीरपुर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि गरीबी की रेखा से नीचे रह–रहे समस्त पात्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50,000/–रू0 तक की परियोजनाओं में जिसमें 10,000/–रु0 तक की राशि सबसीडी के रूप में प्रदान की जाती है, कुल ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। इससे ऊपर की परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC) के सौजन्य से 5.00 लाख रूपये तक का ऋण केवल 6 प्रतिशत ब्याज दर पर तथा इससे अधिक के ऋण मात्र 8 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाए जाते है जिनमें सबसीडी का कोई प्रावधान नहीं है। यह सुविधा संत रविदास वर्ग से सम्बन्धित बेरोजगार युवाओं व युवतियों के लिए भी उपलब्ध है।

मद पर बैठक में चर्चा के दौरान माननीय गैर सरकारी सदस्य द्वारा सूचित किया गया कि स्वरोजगार स्थापित करने हेतु 50,000/–रू0 को बढ़ाकर 1,00,000/– रू0 किया जाना चाहिए तथा जो बैंको द्वारा 50,000/– रू0 के ऋण के लिए एफडीआर ली जाती है उस शर्त को हटाया जाये क्योकि बेरोजगार व्यक्ति के पास एफडीआर कहां से आयेगी। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान निगम द्वारा सूचित किया गया कि ऋण सीमा को 50,000/–रू0 से बढ़ाकर 1,00,000/– रू0 करने बारे मामला भारत सरकार को भेज दिया गया है। जहां तक 50,000/– रू0 के ऋण के लिए एफडीआर लिए जाने का प्रश्न है तो इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है तथा न ही एफडीआर ली

जाती है। यदि कोई ऐसा मामला है तो उसे लिखित में निगम के ध्यान में लाया जाये। **मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

26 हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति विकास निगम में शिक्षा ऋण की सीमा मात्र 75000 रू0 है जो कि बहुत की कम है। 75000 रू0 में आज के समय में कोई भी व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है। किसी भी व्यवसायिक शिक्षा को प्राप्त करने में कम से कम 5–6 लाख रू0 का खर्च आ जाता है। अतः इसके सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि हि0प्र0 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जााति विकास निगम में शिक्षा ऋण की सीमा 75000 रू0 से बढा कर कम से कम 5 लाख करने का अनुरोध किया जाता है तथा ऋण की प्रकिया को भी सरल किया जाये। ताकि हि0प्र0 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के होनहार छात्र अधिक से अधिक व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ हो सके।

(रोशन लाल, घराणा तहसील पालमपुर,कांगडा)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान निगम द्वारा सूचित किया गया कि राज्य निगम से 75000/–रू0 तक का ही ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण दिये जाने का प्रावधान है परन्तु माननीय गैर सरकारी सदस्य को आवगत करवाया जाता है कि राष्ट्रीय निगम (NSFDC) से 7,50,000/–रू0 तक के शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाये जाते है जो बहुत ही कम ब्याज दर पर उपलब्ण करवाये जाते है। चर्चा के दौरान माननीय गैर सरकारी सदस्य द्वारा अनुरोध किया गया कि ब्लॉक स्तर पर लोगों को इस प्रकार की जानकारी नहीं है। अतः राज्य निगम/राष्ट्रीय निगम द्वारा प्रदान किये जा रहे ऋणों का ब्लॉक स्तर तक ब्यापक प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। चर्चा उपरान्त निगम को उनके द्वारा संचालित समस्त ऋण योजनाओं बारे व्यापक प्रचार एवं प्रसार करने के निर्देश दिये गये । **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

प्रबन्ध निदेशक,कांगडा सहकारी बैंक,धर्मशाला से सम्बन्धित मदें

27 **KCC बैंक कोटलू में राजकुमार कर्मचारी कार्यरत था, दो साल में ही इस की बदली माननीय श्री जगदीश सपहिया ने उच्च वर्ग के उकसाने पर इस कर्मचारी का स्थानान्तरण दुर्गम स्थान उदयपुर में कर दिया,जहां के लिए कुल्लू से 8 घण्टे बस से है। इस सम्बन्ध में माननीय सी.पी.एस. श्री जगजीवन पाल के माध्यम से KCC बैंक Chairman माननीय श्री जगदीश सपहिया जी से बदली रूकवाने के लिए अनुरोध किया जिसे ठुकरा दिया। अन्त में न्यायालय के हस्तक्षेप करने पर नवम्बर 2013 से मार्च 2014 तक स्थानान्तरण स्थगित रखा।**

(रोशन लाल, पालमपुर, जिला कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि श्री राज कुमार का तबादला किसी जातीय उत्पीडन

के आधार पर नहीं किया गया है और न ही किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति के कहने या बहकाने पर की गई है बल्कि यह तबादला एक नियमित तबादला है। इस तबादले से सम्बन्धित तथ्य निम्न प्रकार से है :–

1. इनका तबादला शाखा कार्यालय कोटलू से शाखा कार्यालय उदयपुर के लिए दिनांक 04. 11.2013 के जारी आदेश से किया गया था।
2. इनके द्वारा सीविल जज (सीनियर बैंच) के न्यायालय में दिनांक 14.11.2013 को केस दर्ज करवाया गया। तदानुसार न्यायालय के आदेशानुसार इन्हें बैंक द्वारा भारमुक्त नहीं किया जा सका।
3. इन्हें बैंक के आदेश दिनांक 18.12.2013 द्वारा शाखा कार्यालय चामुण्डा में समायोजित किया गया था। यह समायोजन 31.03.2014 तक शैक्षणिक सत्र समाप्त होने तक किया गया था जैसाकि इनके द्वारा केस में दर्शाया गया था।
4. 31.05.2014 को शैक्षणिक सत्र समाप्त होने पर इन्हें शाखा कार्यालय चामुण्डा से शाखा कार्यालय उदयपुर के लिए भारमुक्त किया गया तथा तदानुसार इन्होनें शाखा कार्यालय उदयपुर में दिनांक 10.06.2014 को अपनी उपस्थिति दी है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त मण्डी से सम्बन्धित मदें

28. इस वर्ग से सम्बन्धित लोगों को गांव व शहरी क्षेत्र में मकान बनाने के लिए कम से कम 2 व 3 बिस्वा भूमि देने का प्रावधान किया जाये। जिन लोगों ने सरकारी भूमि में मकान बनाये है उनको नियमित किया जाये।

(श्री हेम राज आजाद, वाहवा,तहसील चच्योट,जिला मण्डी)

मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित सदस्य द्वारा सूचित किया कि जो नौतोड़ की भूमि सरकार द्वारा गरीबों को दी गई थी वह उन के द्वारा बेची जा रही है तथा उन्हें बेचने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। चर्चा में भाग लेते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस एक गम्भीर मुददा माना । अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व द्वारा सूचित किया कि यदि इस प्रकार के नौतोड बेचने का कोई मामला उन के ध्यान में लाया जाता है तो उस के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। **चर्चा उपरान्त मद समाप्त कर दी गई ।**

उपायुक्त ऊना से सम्बन्धित मदें

29. अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग पूर्ण रूप से शौचालय मुक्त नहीं है, जिसका कारण गरीबी है, सहायता प्रदान की जावे।

(हरपाल सिंह(बीडीसी),दन्गोह तह0 अम्ब,जिला ऊना)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि उपायुक्त ऊना द्वारा सूचित किया कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012 में हुए सर्वेक्षणानुसार जो परिवार बिना शौचालय के पाये गए उनके लिए शौचालय निर्माण उपरान्त अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है जिसमें सभी वर्गो (एस0सी0/एस0टी0/ ओ0बी0सी0) को शौचाालय बनाने के लिए मु0 12000/—रूपये दिए जा रहे है जिसमें जिला में कुल 2833 परिवारों जिसमें एस0सी0 वर्ग के 2474 परिवारों तथा एस0टी0 वर्ग के 359 परिवारों को लाभ दिया जा चुका है। **मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

उपायुक्त कांगडा से सम्बन्धित मदें

30. हि0प्र0 के पौंग बांध विस्थापितों के अवैध कब्जों को मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार नियमित किये जाऐ व पौंग बांध विस्थापितों को मुरब्बे न मिल सके तो बाजार की कीमत अनुसार मुल्य दिया जाए।

(श्री राम स्वरूप, ज्वाली, कांगडा)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त कांगड़ा द्वारा सूचित किया कि पौंग बांध विस्थापितों को मुरब्बे राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किए गये है तथा अभी तक इस प्रकार के 1900 मामले उन के पास लम्बित है । चर्चा में भाग लेते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया कि गत 16—17 वर्ष से राजस्थान सरकार द्वारा मुरब्बे आवंटन पर प्रतिबन्ध लगा रखा था तथा माननीय मुख्य मंत्री महोदय के प्रयासों से गत वर्ष आवंटन का कार्य शुरू हुआ है तथा एक ही वर्ष में 572 मामलो में मुरब्बे आवंटित किए गये व शेष मामले को शीघ्र ही निपटा लिया जाएगा। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई।**

31. एन एच 88 पर चांदू राम की दुकान से श्री हरी राम के घर तक लगभग 1 किलो मीटर सडक जो महाल बल्ह हिमाचल सरकार की भूमि में तथा महाल लाहसण में श्री हरी राम की मलकीयत भूमि में पडती है तथा श्री हरी राम 3 मीटर चौडी सडक देने को रजामंद है। इस सड़क को हरिजनों के उत्थान के लिए बनाना अति आवश्यक है।

(कैप्टन जगत राम,हिरन त0 ज्वालामुखी जिला कांगडा)

माननीय गैर सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं थे जिस कारण मद पर चर्चा नहीं की जा सकी तथा **मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

32. गुरू रविदास मन्दिर को बनाये हुए 403 वर्ष हो चुके है, पर मन्दिर की कुछ भूमि वन विभाग कहलाती है जबकि उस समय यह जमीन शामलात भूमि थी। जहां रविदास मन्दिर है वो भूमि गुरू रविदास मन्दिर के नाम की जाये।

(श्री रमेश कुमार पुन्नू, नलेहर घुघर, जिला कांगडा)

मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त कांगड़ा द्वारा सूचित किया कि मामले की छानबीन तहसीलदार पालमपुर द्वारा की गई तथा उन्होंने सूचित किया है कि यह भुमि जंगल मैफुज़ा गैर मैरूदा है तथा भूमि की मलकियत सरकार की है। उन्होनें सूचित किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार वन भूमि पर स्थापित किए गये धार्मिक महत्व के संस्थानों के नियमितिकरण हेतु अभियान चलाया गया है जिस के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने ही अन्तिम तिथि निर्धारित की थी तथा संस्थानों को ही इस सन्दर्भ में स्वंय आवेदन करना होता था। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व द्वारा इस प्रकार के किसी भी आदेशों से अनभिज्ञता प्रकट की तथा उपायुक्त कांगड़ा को मामले का पूर्ण विवरण उन्हें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

(उपायुक्त कांगडा)

33. जिन अनुसूचित जाति व अन्य वर्ग के लोगों के मकान अनभिज्ञयता वश सरकारी भूमि पर बने है जो वर्षो पुराने है नाजायज कब्जे बना दिये गये है। उन कब्जों का मुआवजा लेकर या भूमि का तबादला करके कब्जा बहाल किया जाये।

(मास्टर मोहिन्द,नूरपुर,जिला कांगडा)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया कि इस सन्दर्भ के मदों में पूर्व में ही विस्तृत चर्चा हो चुकी है। पूर्व मदों में हुई चर्चा के दृष्टिगत बैठक में मद पर चर्चा नहीं हुई तथा **मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

34. जिला स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय माइन्योर्टी समिति में रविदास कल्याण बोर्ड से कम से कम 2 सदस्य हो।

(श्री रमेश कुमार पुन्नू ,नलेहर घुघर, जिला कांगडा)

मद पर अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया कि यह मद स्पष्ट नहीं है जिस कारण मद पर चर्चा नहीं हो सकीं तथा **मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

उपायुक्त सिरमौर से सम्बन्धित मदें

35. रमेश चन्द गांव मरूंह तहसील पालमपुर का निवासी है। जो कि सिरमौर एस.डी.एम. कार्यालय Revenue विभाग में कार्यरत था। नौकरी के दौरान ही 31 मई 2007 को उसकी मृत्यु हो गई। अनुकम्पा के आधार पर उसके बेटे रोहित कुमार को नौकरी दी जाए।

(रोशन लाल, पालमपुर, जिला कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि उपायुक्त सिरमौर द्वारा अवगत करवाया गया है कि श्री रोहित कुमार सपुत्र स्वर्गीय श्री रमेश चन्द को करूणामूलक आधार पर, तृतीय श्रेणी के पद पर, रोजगार उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रकरण इस कार्यालय को दिनांक 04.09.2013 द्वारा मण्डलायुक्त, शिमला मण्डल के माध्यम से राजस्व विभाग को प्रेषित किया गया था। इसके उपरान्त प्रकरण बारे इस कार्यालय द्वारा करूणामूलक आधार पर, रोजगार हेतु मामला मण्डलायुक्त, शिमला मण्डल को भेजा गया। इसके सम्बन्ध उक्त कार्यालय द्वारा सूचित किया गया कि तत्कालिक प्रस्ताव वित्तीय/आय सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं है। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई।**

उपायुक्त चम्बा से सम्बन्धित मदें

36. गांव गलैण में 98 प्रतिशत लोग चमार जाति के निवास करते हैं उक्त गांव को गुरू रविदास योजना(जीआरडीएस) के तहत चयनित किया जावे ताकि हमारे गांव में भी हरिजन लोगों की गलियां, पनिहार का निर्माण हो सके।

(श्री श्याम लाल गलैन त0 चुराह जिला चम्बा)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त चम्बा द्वारा सूचित किया कि गांव गलैन की जनसंख्या रविदास योजना के अनुरूप नहीं है योजना के अन्तर्गत वार्ड अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर चयनित किया जाता है इस वार्ड की कुल जनसख्या 305 है। जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 107 है इसलिए इस गांव को इस योजना के अन्तर्गत लाभन्वित नहीं किया जा सकता हैं। **चर्चा उपरान्त मद समाप्त कर दी गई** ।

37. हि0प्र0 सरकार द्वारा मिलने वाली अनुसूचित जाति के गावों को स्ट्रीट लाईटें भी स्वीकृत की जावे। साथ में यह भी निवेदन है कि गांव गलैण व कुन्डोलू को गुरू रविदास योजना (जीआरडीएस) योजना के तहत चयनित किया जावे।

(**श्री श्याम लाल गलैन जिला चम्बा**)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त चम्बा द्वारा सूचित किया कि गांव कुन्डोलू की जनसंख्या रविदास योजना के अनुरूप नहीं है योजना के अन्तर्गत वार्ड अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर चयनित किया जाता है इस वार्ड की कुल जनसख्या 315 है। जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 200 है इसलिए इस गांव को इस योजना के अन्तर्गत लाभन्वित नहीं किया जा सकता है तथा **मद पर की गई चर्चा के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दी गई**

38. गांव गलैण में गुरू रविदास का मंदिर बनाने हेतु धन राशि स्वीकृत की जावे।

(श्री श्याम लाल गलैन त0 चुराह जिला चम्बा)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त चम्बा द्वारा सूचित किया कि रविदास मंदिर बनाने हेतु जो धन राशि की मांग की गई है इसके संदर्भ में धार्मिक संस्थानों हेतु एसडीपी निधि में इस

प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है जिस कारण रविदास मंदिर निर्माण हेतु राशि जारी नहीं की जा सकती। **मद पर की गई चर्चा के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

39. गुरू रविदास मन्दिर मुहल्ला धडोग चम्बा के परिसर में गुरू रविदास सराये का निर्माण किया जाये।

(जितेन्द्र सूर्या, धडोग तहसील व जिला चम्बा)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त चम्बा द्वारा सूचित किया कि मुहल्ला धडोग चम्बा के परिसर में सराय निर्माण हेतु अक्तुबर 2015 में एक लाख रूपये स्वीकृत किये है जिस पर गैर सरकारी सदस्य द्वारा बताया गया यह राशि बहुत कम है। उपायुक्त चम्बा द्वारा सदस्य का बताया गया कि जो राशि पहले स्वीकृत की गई है उसे पहले व्यय किया जाये उसके उपरान्त और राशि स्वीकृत कर दी जायेगी। **मद पर की गई चर्चा के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

उपायुक्त बिलासपुर से सम्बन्धित मदें

40. सन् 1958 में बिलासपुर शहर भाखडा बांध बनने पर जलमग्न हुआ तो पुराने बिलासपुर को सरकार/प्रशासन ने 16.7.1958 की तारीख के फैसले के आधार पर, जिन्हें अवार्ड मिले थे, नये बिलासपुर में लोगों,मंन्दिर,मस्जिद तथा गुरूद्वारों में बसाया गया लेकिन श्री गुरू रविदास जी महाराज को उपरोक्त निर्णय अनुसार न प्लाट और न आर्थिक सहायता उनके निर्माण हेतु अवार्ड के होते हुए भी प्रदान नहीं हुई। इस अनियमितता के लिए कौन उतरदायी है।

(श्री के0एल0 सुरेहली,पूर्व पार्षद नगर परिषद बिलासपुर,)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि उपायुक्त बिलासपुर द्वारा अवगत करवाया कि भाखडा बांध निर्माण के लिए वर्ष 1958 में पुराने बिलासपुर शहर के अधिग्रहण उपरान्त नए बिलासपुर शहर में मन्दिर,मस्जिद व गुरूद्वारों के लिए प्लाट आवंटित किये गए है। श्री गुरू रविदास जी महाराज का मन्दिर पुराने बिलासपुर शहर में अधिगृहित हुआ है या नहीं की पुष्टि हेतु उपरोक्त पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। जहां तक भाखडा बांध के लिए भूमि/मकानों/मन्दिरों के अधिग्रहण उपरान्त बिलासपुर शहर में प्लाट आवंटित करने का प्रश्न है उसके लिए सरकार द्वारा भाखडा बिस्थापितों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए 15.8.1999 तक की अन्तिम अवधि निर्धारित की गई थी। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई।**

41. भूमि अधिग्रहण हेतु पूर्व प्रधान सभा ने कई बार मामला सरकार से उठाया है लेकिन इस विषय में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

(श्री के0एल0 सुरेहली, पूर्व पार्षद नगर परिषद बिलासपुर,)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि उपायुक्त बिलासपुर द्वारा अवगत करवाया कि श्री गुरू रविदास जी महाराज के मन्दिर

निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण करने के लिए अपने स्तर पर कोई भी कार्यवाही करने में यह कार्यालय सक्षम नहीं है। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई।**

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित मदें

42. **हि0प्र0 संत रविदास कल्याण बोर्ड के नाम में मामूली परिवर्तन कर संत की जगह गुरू रविदास कल्याण बोर्ड किया जाये क्योकि गुरू रविदास समुदाय ही नहीं सभी वर्गो के गुरू थे वो नाम–दान की दीक्षा देते थे।**

(श्री राम स्वरूप, ज्वाली कांगड़ा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि इस मद के संदर्भ में बोर्ड की आगामी बैठक में विचाार किया जायेगा। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई।**

43. **अनुसूचित जाति उप योजना को आवंटित बजट व उसके पूर्ण व्यय की सालाना और मासिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि सम्बन्धित ब्लॉक (कल्याण बोर्ड के सदस्य को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित की जाये।**

(श्री रमेश कुमार पुन्नू , नलेहर घुघर,जिला कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत मासिक आधार पर सूचना संकलित नहीं की जाती है। बल्कि त्रैमासिक आधार पर सूचना संकलित की जाती है। इस संदर्भ में आगामी वितीय वर्ष 2016–17 से जिला स्तर पर अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट जिला की विभागीय वैबसाईड पर अपलोड कर दी जायेगी।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

44. **अनुसूचित जातियों पर आक्रमण, सम्पति नष्ट करना, महिलाओं से दुर्व्यवहार व बलात्कार होने पर ऐसे अपराधियों की सम्पति जब्त की जानी चाहिए और प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा मिलने का तुरन्त प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा अपराधियों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।**

45. **दलितों से घटी अन्यायपूर्ण घटनाओं की जांच व न्यायिक प्रकिया के लिए विशेष जांच अधिकारी व सरकारी वकील नियुक्त होना चाहिए, जब तक यह प्रकिया पूरी न हो जाए।**

46. **हमारे दलित समाज में ऐसे बहुत से मामले है जिनके साथ न्यायसंगत व्यवहार नहीं किया जाता है। ऐसा अक्सर रविदास समाज के साथ ज्यादा घटित होता रहा है। ऐसे मुद्दों पर भेदभाव पूर्ण व्यवहार होने पर दुःख होता है। ऐसे सभी मुद्दे गुण दोष के आधार पर निपटाने चाहिए न कि जाति के आधार पर । सभी मुद्दे निष्पक्ष भावना से निपटाए जाने पर समाज में सोहार्द का वातावरण पनपता है।**

(रोशन लाल, पालमपुर, जिला कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बैठक में बताया कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गो पर होने वाले अत्याचारों को रोकने तथा उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 (Protection of Civil Right Act 1955) तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) Scheduled Cast & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989 को देश के अन्य राज्यों की भांन्ति इस राज्य में भी प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत अस्पृश्यता का प्रचार और आचरण करने वालों को दण्डित करना, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय राहत देकर उन्हें पुर्नवासित करना तथा दोषी व्यक्ति को उचित दण्ड देने का प्रावधान है ताकि समाज में समानता लाई जा सके।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) निवारण अधिनियम 1989 व नियम 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को 90,000 से 7,50,000 रू0 तक की राहत राशि प्रदान की जाती है। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।**

47. **अम्बेदकर भवनों का निर्माण वास्तव में अनुसूचित जाति की घनी आवादी वाली वस्तियों के निकट होना चाहिए था ताकि इस का सदुपयोग अनुसूचित जाति के लोग कर पाते। जमीन उपलब्ध न होने के कारण वस्तियों से दूर व उच्च जाति के नजदीक इनका निर्माण किया गया है, ताकि अनुसूचित जाति के लोग इस के इस्तेमाल से वंचित रह सके। अम्वेदकर भवन में सिर्फ एक हाल का ही प्रावधान किया है साथ में रसोई व शौचालय आदि का कोई प्रावधान नहीं है। इन भवनों की खिडकियां व लकडी के दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गये है। लकडी के दरवाजों में लोहे की ग्रील लगाई जाये व भवन में शौचालय व रसोई घर भी बनाये जाएं ताकि सही रख रखाव व सही उपयोग हो।**
(रोशन लाल, पालमपुर, जिला कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अम्बेदकर भवनों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था जिसके लिए 10.00 लाख रूपये की लागत से प्रत्येक भवन के निर्माण लिए स्टैन्डर्ड डिजाईन सरकार ने हि0प्र0 के मुख्य प्रारूपकार और प्रमुख अभियन्ता से बनवाकर स्वीकृत किया हे जिसका निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया था। भवन निर्माण के लिए अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत 6.50 करोड तथा जन जाति उपयोजना के अन्तर्गत 30.00 लाख की राशि सभी जिला के उपायुक्तों को जारी की गई। जिला स्तर पर निर्वाचन क्षेत्रवार लोक निर्माण विभाग द्वारा जमीन की उपलब्धता के अनुसार संम्बन्धित उपायुक्त के निर्देशानुसार किया गया है।

योजना के अनुसार निर्मित भवनों के सही संचालन एवं रख रखाव के लिए जिलाधीशों के माध्यम से यथा स्थिति अनुसार संम्बन्धित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। यदि संम्बन्धित ग्राम पंचायत यह कार्य करने में अस्मर्थ होती है तो इसके संचालन

एवं रख रखाव के लिए किसी पंजीकृत अनुसूचित जाति बहुल्य संस्था को सौंपा जायेगा जो उनके कल्याण के लिए कार्यरत हो। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।**

48. सरकार करोडों रूपये लगभग वजट का 24 प्रतिशत रविदास एससी कम्पोनैन्ट अनुसूचित जाति के विकासके लिए निर्धारित कर रही है। इस का सीधा लाभ इस समाज के लिए नहीं पहुंच रहा है। खण्ड विकास स्तर पर इस धन के उपयोग का विवरण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ।

(रोशन लाल, पालमपुर, जिला कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि रविदास एससी कम्पोनैंट अनुसूचित जाति नाम की राज्य सरकार द्वारा कोई योजना नहीं चलाई जा रही है बल्कि सभी अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति उप योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा कुल योजना बजट का 25.19 प्रतिशत भाग चिन्हांकित किया जाता है, जोकि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुरूप है। आगामी वितीय वर्ष 2016–17 से जिला स्तर पर अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट जिला की विभागीय वैबसाईड पर अपलोड कर दी जायेगी। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।**

49. **सन्त रविदास कल्याण बोर्ड की बैठकें जिला स्तर पर आयोजित की जानी चाहिए ताकि समस्याओं को उजागर करना सुनिश्चित हो सके।**

(रोशन लाल, पालमपुर, जिला कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक कल्याण बोर्ड का गठन माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में किया जाता है जिसमें प्रत्येक जिला के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देकर गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किये जाते हैं। अतः इन बोर्डो की जिला स्तर पर बैठकें आयोजित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग के विचाराधीन नहीं हैं। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।**

50. ग्राम पंचायत सनवाल जिला चम्बा की दुर्गम पंचायत है महोदय हमारी पंचायत में गांव गलैण व कुन्डोलू में 95 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति के निवास करते है लेकिन आज दिनांक तक हमारी पंचायत के लोगों को अनुसूचित जाति योजना के तहत मिलने वाले सरकार की तरफ से कोई भी मकान हेतु व अन्य स्कीम का लाभ नहीं मिला ।

(श्री श्याम लाल गलैन त0 चुराह जिला चम्बा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि इस संदर्भ में प्रस्तुत है कि ग्राम गलैण व कुन्डोलू तहसील चुराह की सनवाल पंचायत के अन्तर्गत आते है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार सनवाल की कुल आबादी 1300 है। जिसमें

से 481 लोग अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है। अतः इस ग्राम पंचायत के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बस्तियों को अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत लाभन्वित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त जहां तक इस पंचाायत के अनुसूचित जाति के लोगों को गृह निर्माण हेतु सहायता का प्रश्न है, तो इस विभाग द्वारा नियमानुसार पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय मु0 35000/– रूपये से कम है, के लिए गृह निर्माण अनुदान योजना कार्यन्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। सहायता प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित तहसील कल्याण/जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होता है। विभाग द्वारा चलाई जा रही अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भी उपरोक्त कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

51. सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा चलाए जाने वाले जागरूकता शिविरों की धन राशि बढाई जाये ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सके।

(श्री हेम राज आजाद, वाहवा त0 चच्योट ,जिला मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि इस विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों, अन्य पिछडा वर्गो, वृद्वों व विकलांगों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार/प्रसार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसमें विभाग द्वारा कार्यान्वित इन योजनाओं बारे जानकारी प्रदान की जाती है। इन शिविरों के आयोजन हेतु विभाग द्वारा पर्याप्त मात्रा में राशि आवंटित की जाती है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

52. गुरू रविदास घटक योजना के लिए मौजूदा धन राशि को दो गुना किया जाये। इसके अन्तर्गत नई स्कीमों को जोडा जाये ।

(श्री हेम राज आजाद,वाहवा त0 चच्योट ,जिला मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि राज्य में गुरू रविदास घटक योजना कार्यान्वित नहीं है बल्कि गुरू रविदास सार्वजनिक उन्नयन योजना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती थी जो कि वर्ष 2012–13 के बाद समाप्त कर दी गई है। इसके अतिरिक्त एक अन्य समरूप हरिजन बस्ती सुधार योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही थी,वह भी वर्ष 2012–13 से बन्द कर दी गई है।

उक्त दोनों योजनाओं के स्थान पर अब प्रदेश में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति बहुल वाले दो गांवों का चयन किया जाता है व प्रत्येक गांव में विभिन्न विकास कार्यो हेतु 10.00 लाख की राशि जारी की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन उपायुक्तों के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा हैं। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।**

53. गांव को सडकों से जोडने की जरूरत व बिजली पानी की समस्या से निजात दिलाई जाए व गन्दे पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था की जाये।

(रघुवीर सिंह,भकरेडी तहसील बडसर जिला हमीरपुर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बताया कि प्रदेश सरकार प्रत्येक गांव को बिजली,पानी व सडकों से जोडने हेतु वचनवद्व है। यदि माननीय सदस्य की नजरों में कोई ऐसा गांव हो जहां बिजली पानी व सडक की सुविधा नहीं है तो वे सम्बन्धित विभाग को इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भेज सकते है।

अतःविभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

बैठक के अन्त में अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, माननीय सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मन्त्री, मुख्य सचिव, हि0 प्र0 सरकार तथा सभी उपस्थित सरकारी एंव गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में भाग लेने पर धन्यवाद किया गया।

****

अनुबन्ध–क

दिनांक 09–02–2016 को शिमला में माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न संत रविदास कल्याण बोर्ड की प्रथम बैठक में सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों की उपस्थिति सूची

क0 स0	सरकारी सदस्य का नाम व पद	क0 स0	गैर सरकारी सदस्य का नाम
1	श्री पी0 मित्रा मुख्य सचिव हि0प्र0 सरकार	1	श्री राम स्वरूप, कांगडा
2	श्री तरूण श्रीधर, अतिरिक्त मुख्य सचिव हि0प्र0 सरकार	2	श्री बीरू राम, बिलासपुर
3	श्री संजय गुप्ता, प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा एंव आयुर्वेदा) हि0प्र0 सरकार	3	श्री मोहिन्द्र सिंह, कांगडा
4	श्री औंकार शर्मा, सचिव, हि0प्र0 सरकार	4	श्री देवराज, चम्बा
5	डा0 आर0के0 पुर्थी, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा हि0प्र0	5	श्री श्याम लाल, चम्बा
6	श्री दिनकर बुराथकी, निदेशक, उच्च शिक्षा हि0प्र0	6	श्री जितेन्द्र सूयो, चम्बा
7	श्री राजेश्वर गोयल, निदेशक तकनीकी शिक्षा हि0प्र0	7	श्री अमर नाथ, चम्बा
8	डा0 डी0एस0 गुरग, निदेशक, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण हि0प्र0	8	श्री कृशनू राम,बिलासपुर
9	श्री बी0सी0 बडालिया, उपायुक्त सिरमौर हि0प्र0	9	श्री प्रभात चन्द, कांगडा
10	श्री रितेश चौहान, उपायुक्त कागडा हि0प्र0	10	श्री चैना राम, मण्डी
11	श्रीमति एम0 सुधा देवी उपायुक्त चम्बा हि0प्र0	11	श्री रमेश कुमार,कांगडा
12	श्री सदीप कदम उपायुक्त मण्डी हि0प्र0	12	श्री प्यार चन्द, हमीरपुर
13	श्री विकास लावरू, प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल पिछडा वर्ग वित एव विकास निगम हिमाचल प्रदेश हि0प्र0	13	श्री रोशन लाल, कागडा
14	श्री चन्द्रेश शर्मा प्रबन्ध निदेशक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति विकास निगम हि0प्र0	14	श्री सोहन लाल, सोलन
15	श्री डी0सी0 शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, हथकरघा एव हस्त शिल्प निगम हि0प्र0	15	श्री रघुवीर सिंह,हमीरपुर
16	श्री सोम राज कालिया, निदेशक, कृषि हि0प्र0	16	श्री रणवीर संधु, सोलन
17	श्री रूपाली ठाकुर, अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर हि0प्र0	17	श्री हेम राज आजाद, मण्डी
18	डा0 चाद शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,बिलासपुर हि0प्र0	18	श्री चन्दू लाल, मण्डी
19	श्री राजेश्वर गोयल, निदेशक, तकनीकी शिक्षा हि0प्र0	19	श्री बृज लाल,मण्डी
20	श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (परिवहन) हि0प्र0	20	श्री मोहिन्द्र सिंह,सोलन
21	श्री आर0के0 कुमार, प्रमुख अभियन्ता सिचाई एव जन स्वास्थ्य हि0प्र0	21	श्री हेम राज, हमीरपुर
22	श्री स्वरेश कुमार, राजेश कुमार, मुख्य अभियन्ता, हिमाचल विद्युत परिषद धर्मशाला हि0प्र0	22	श्री नोमी देवी, सिरमौर
23	श्री राजेश कुमार, अधिक्षण अभियन्ता, हिमाचल विद्युत परिषद कांगडा हि0प्र0	23	श्री प्रेम नाथ, कुल्लू
24	श्री चतर सिंह, अधिक्षण अभियन्ता (सिचाई एव जन स्वास्थ्य) हि0प्र0	24	श्री रघुवीर सिंह,हमीरपुर
25	श्री आर0आर0 पटियाल, सयुक्त सचिव (शिक्षा) हि0प्र0 सरकार	25	श्री प्रकाश चन्द, हमीरपुर
26	श्री गुरदेव चन्द शर्मा, पुलिस अधिक्षक, सीटीएस/एआईजी हि0प्र0	26	श्री प्रकाश चन्द, हमीरपुर
27	श्री सतीश ठाकुर,सदस्य, हिमाचल पिछडा वर्ग, वित एव विकास निगम	25	श्री प्रकाश चन्द, हमीरपुर
28	श्री महेश कुमार, उप सचिव (गृह) हि0प्र0 सरकार		
29	श्री के0आर0 सैजल, उप सचिव (लोक निर्माण) हि0प्र0		
30	श्री सतपाल धीमान, उप सचिव,(एफ एण्ड एस) हि0प्र0		
31	श्री सुरेन्द्र कुमार, अवर सचिव,(सामान्य प्रशासन) हि0प्र0		
32	श्री सुमन रावत, सयुक्त निदेशक, (युवा एव खेल विभाग) हि0प्र0		
33	श्री राकेश गगोतरा उप निदेशक,(एफसीएस एण्ड सीए) हि0प्र0		
34	श्री कृष्ण शर्मा उप निदेशक रोजगार हि0प्र0		
35	श्री आर0एस0 गुलेरिया, उप निदेशक महिला एव बाल विकास हि0प्र		
36	श्री नरेश शर्मा अनुसधन अधिकारी हिम ऊर्जा हि0प्र0		
37	श्री ओंकार चन्द्र जिला कल्याण अधिकारी, शिमला		
38	श्री प्रताप नेगी, प्रतिनिधि उपायुक्त कुल्लू हि0प्र0		

******